न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:–15/21(225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021/33

उनवान

1. मूर्ति मंदिर श्री खपाटिया जी महाराज स्थित कस्बा वैर जरिये संरक्षक प्रबन्धक एवं पुजारी हेमप्रकाश पुत्र रामदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुम्हेर गेट वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

..........................**अपीलांट**।

बनाम

1. नरेश
2. गिरीश
3. गजाधर

} पुत्रान रामदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी मकान नम्बर 1724 एनएचबीसी पानीपत हरियाणा।

4. कमलेश पुत्री रामदयाल पत्नी सुशील मोहन जाति ब्राहम्ण निवासी वियारा तहसील अछनेरा जिला आगरा।
5. बृजलता पुत्री रामदयाल पत्नी मदन मोहन जाति ब्राहम्ण निवासी गाजीपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

............................**रेस्पोंडेंट**।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी वैर दिनांक 10.08.2020 उनवान मूर्ति मन्दिर बनाम नरेश मु0न0 78/16

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 31.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 10.08.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पत्र में अंकित विवादित आराजी काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय व उससे पूर्व वक्त बन्दोबस्त 1985 व उसके बाद में आज तक प्रार्थी अपीलाण्ट की मिल्कीयती मकबूजा व खुदकाश्त की आराजी रही है। प्रार्थी अपीलाण्ट शास्वतः नाबालिग है। अतः उसकी आराजी पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं हो सकते। परन्तु अप्रार्थी रैस्पो0 ने गैर कानूनी तरीके से विवादित आराजी की खातेदारी अपने नाम करा ली है। उपरोक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थी रैस्पो0 विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी रैस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। विवादित भूमि संवत 2010–13 में खाना संख्या 4 मालिक के रूप में प्रार्थी अपीलाण्ट के नाम दर्ज है। नियमानुसार मूर्ति की भूमि पर किसी को भी खातेदारी अधिकार हासिल नहीं हो सकते हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर ना करते हुये, प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है। यह है कि मूर्ति मन्दिर शास्वतः नाबालिग है। जमाबन्दी में विवादित भूमि प्रार्थी अपीलाण्ट के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया प्रार्थी अपीलाण्ट के पक्ष में प्रकरण बनता है। यदि स्थगन नहीं दिया गया तो रैस्पो0 विवादित आराजी को खुर्द बुर्द कर देंगें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। विवादित आराजी में पक्षकारो के अधिकार विस्तृत साक्ष्य विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मूल वाद में तय होंगें। फिलहाल प्रार्थना पत्र फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम पाते हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2010–13 के कॉलम संख्या 04 भूमि अधिकारी में विवादित भूमि मन्दिर श्री खपाटिया जी महाराज मजकूर के नाम दर्ज है। चूंकि मूर्ति मन्दिर शाश्वतः नाबालिग होती है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में पुष्ट होता है। वैसे भी दौराने वाद विवादित भूमि को सुरक्षित रखने एवं वादकरण की जटिलता व बहुलता से बचने के लिए विवादित भूमि के रेकार्ड व मौके की, पक्षकारान द्वारा यथास्थिति रखना निरापद होता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2020 अपास्त किये जाकर ताफैसला मूल वाद विवादित आराजी खसरा नम्बर 783, 784, 874 किता 3 रकबा 11 बीघा 19 विस्वा वाके ग्राम

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर (राज.)

सीर सरकार तथा 675 वाके ग्राम ज्ञात पट्टी तहसील वैर जिला भरतपुर के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रैस्पो0 को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)